

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/विविध 1-212/2024

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० मालविका कुमुद, सह-प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के दिनांक-09.05.2024 से 22.09.2024 तक कुल-137 दिनों की चिकित्सीय अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के आलोक में निम्नरूपेण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-09.05.2024 से 26.08.2024 तक-कुल-110 दिन रुपान्तरित अवकाश के रूप में (कुल-220 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
 - (ii) दिनांक-27.08.2024 से 22.09.2024 तक-कुल-27 दिन असाधारण अवकाश के रूप में।
2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध 1-212/2024 - 748(17)

पटना, दिनांक :- 15/07/2025

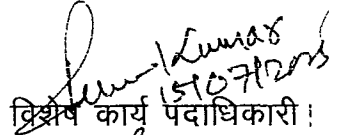
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० मालविका कुमुद, सह-प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।